

नो टेंशन, बन कर रहेगा बार्षी नाका रेलवे स्टेशन, बजरंग बप्पा का आश्वासन



बीड (संवाददाता):

चंद ही दिनों में बीड को रेलवे की सुविधा मिलने वाली है। बीड तक रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है और १२ मार्च २०२५ के संसदीय सत्र के लिए बीड की रेलवे से यात्रा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी है। इस बीच, बीड के बार्षी नाका इमामपुर रोड क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की मांग की गई है। सांसद होने के नाते, रेलवे स्टेशन की मंजूरी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आप निश्चित रहें, मैं बार्षी नाका रेलवे स्टेशन की मंजूरी लेकर रहूंगा। यह आश्वासन सांसद बजरंग सोनवणे ने रेलवे एक्शन कमेटी को दिया। इस दौरान समिति ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। शनिवार शाम ५ बजे, सरकारी विश्राम गृह में सांसद बजरंग सोनवणे की उपस्थिति में रेलवे एक्शन कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष गंमत भंडारी, पूर्व विधायक सय्यद सलीम, पूर्व विधायक उषा दराडे, वरिष्ठ नेता सुशीला मोराले, शिवसेना जिला प्रमुख स्वप्नील गलधर, राकांपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, भागवत तावरे, खुशींद आलम, सुनील सुरवसे और बी.बी. जाधव मौजूद थे।



बैठक में हुई चर्चा:

बैठक में समिति के अध्यक्ष गंमत भंडारी ने बताया कि बार्षी नाका रेलवे स्टेशन क्यों जरूरी है। पूर्व विधायक सय्यद सलीम, उषा दराडे और सुशीला मोराले ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद, सांसद बजरंग सोनवणे ने कहा कि रेलवे बीड का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्षों से इस पर संघर्ष हो रहा है। बीड के लोगों ने मुझे सांसद बनने का मौका दिया है और मैंने इस मुद्दे पर तुरंत काम शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में अमलनेर से विघनवाडी और विघनवाडी से नवगण राजुरी तक का काम पूरा हो चुका है। अब रेलवे बीड तक पहुंचने वाली है। हालांकि, कुछ भूमि अधिग्रहण के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अब सभी मुद्दे हल कर लिए गए हैं। बीड से अहिल्यापुर तक रेल सेवा शुरू करने की कोशिश की जा रही है और मार्च के अंत तक यह सेवा वडवणी तक पहुंच जाएगी। जून-जुलाई तक रेल सिरसाला पहुंचेगी और मार्च २०२६ तक परली तक रेल सेवा शुरू हो जाएगी।

बार्षी नाका रेलवे स्टेशन की मांग

पर चर्चा:
सांसद सोनवणे ने कहा कि बार्षी नाका इमामपुर रोड पर रेलवे स्टेशन की मांग जायज है। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर इस स्टेशन को मंजूरी दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है और इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है।

तीन महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र:
बैठक में सांसद सोनवणे ने कहा कि

इस वर्ष तीन मुख्य कार्य पूरे किए जाएंगे: रेलवे का काम समय पर पूरा करना। धारूर के घाट और पालखी मार्ग के घाट का काम पूरा करना। बीड के लिए दूसरा बायपास मंजूर करना। धाराशिव (उस्मानाबाद)-जालना रेलवे मार्ग की योजना: उन्होंने कहा कि परली रेलवे मार्ग का काम पूरा होने के बाद, धाराशिव (उस्मानाबाद)-जालना रेलवे मार्ग के लिए प्रयास किया जाएगा। यह मार्ग केवल १८० किलोमीटर का है और यदि इसे जोड़ा गया

तो यह बीड के लिए एक बड़ा कदम होगा।

समिति और स्थानीय लोगों की भागीदारी:

बार्षी नाका क्षेत्र में रेलवे स्टेशन निर्माण की संभावनाओं पर समिति और स्थानीय नागरिकों के साथ चर्चा की गई। समिति ने बताया कि इस क्षेत्र में ६०% भूमि उपलब्ध है और पहले से ही ४.२२ करोड़ रुपये खर्च कर यहां रेलवे ट्रैक और स्टेशन का निर्माण हो चुका है। बार्षी नाका स्टेशन की विशेषताएं:

यह स्टेशन हाइवे और बायपास के पास स्थित है।

बीड के व्यापारियों और श्रमिकों के लिए सुविधाजनक है।

सोलापुर-जलगांव रेलवे मार्ग के लिए जंक्शन के रूप में उपयोगी होगा।

नए स्टेशन की जगह पर भूमि अधिग्रहण महंगा और समय लेने वाला होगा।

सांसद बजरंग सोनवणे ने आश्वासन दिया कि इस स्टेशन को मंजूरी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

अमरीका ने दिया भारतीयों को झटका

लैकिन सऊदी अरबिया ने लगाया गले।

नवी दिल्ली। वृत्तसंस्था कार्य वातावरण नियंत्रण और विकास के उप मंत्री सतम अल-हरबी ने एक बयान में कहा जबरन मजदूरी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय नीति की शुरुआत सऊदी अरब के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देश में रहने और काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करते हुए करीब १८ हजार भारतीयों को वापस भेजने का आदेश दिया है। वहीं कनाडा से भी भारतीयों के लिए बुरी खबर आई जहां २०२५ में दूसरे देशों से कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या ५,०५,१६२ तक की गई है। ऐसे

कानूनों से उन भारतीयों को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, जो बेहतर ज़िंदगी और रोजगार के लिए इन देशों का रुख करने का प्लान कर रहे हैं।

इन सबके बीच सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक ऐसा नीति की शुरुआती की है जो भारतीयों के लिए खुशी लेकर आई है। भारत के बड़ी संख्या में लोग स्किल, सेमीस्किल और अनस्किलड लेबर के तौर पर सऊदी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चए- के मुताबिक सऊदी अरब में २६ लाख से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं।

मंत्रालय ने मंगलवार को जबरन श्रम मजदूरी को खत्म करने के लिए एक नई पॉलिसी की शुरुआत की है। इसके लागू होने के बाद सऊदी अरब पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने सुरक्षित काम के माहौल बनाने की दिशा में



कदम उठाए हैं और दूसरे देशों से आने वाले मजदूरों के हितों का खयाल रखा है। इसके लागू होने से भारत के उन मजदूरों को फायदा होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं और सऊदी के अनौपचारिक



क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के जबरन श्रम सम्मेलन के २०१४ प्रोटोकॉल को मानने वाला पहला ऋछउ सदस्य है और अब इस नीति को पेश

करने के बाद ऐसा पहला अरब देश बन गया है। जो जबरन श्रम को खत्म करने के लिए अंतराष्ट्रीय पैमानों पर काम कर रहा है।

सऊदी में खत्म होगी जबरन मजदूरी देश की राष्ट्रीय नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें ऐसा करवाने वालों पर लगाम और सुरक्षा उपायों के जरिए से जबरन श्रम को खत्म करने की कोशिश करना और पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

कार्य वातावरण नियंत्रण और विकास के उप मंत्री सतम अल-हरबी ने एक बयान में कहा जबरन मजदूरी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय नीति की शुरुआत सऊदी अरब के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देश में रहने और काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने

और उनके अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। राष्ट्रीय नीति की शुरुआत वैश्विक और स्थानीय भागीदारों के सहयोग से कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे चल रहे काम पर भी आधारित आधारित है।

कानूनी सहायता भी देगी नीति यह नीति जबरन श्रम पीड़ितों के लिए कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सहायता करेगी, साथ ही उनकी रिकवरी में सहायता करने और फिर से पीड़ित होने के जोखिम से बचाने के तरीकों पर भी ध्यान देगी। ये राष्ट्रीय नीति भी किंग सलमान के विजन २०३० का एक हिस्सा है, जिसके जरिए वह दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि सऊदी अरब काम, करने, रहने और घूमने से लेकर हर लिहाज से विकसित देशों से कम नहीं है।

कुरूप्यात डकैतों को बीड की स्थानीय अपराध शाखा ने किया गिरफ्तार

बीड (संवाददाता):

डकैतों से जुड़े दो डकैती और दो घरफोड़ मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने ५ लाख से अधिक का माल जब्त किया।

बीड जिले में डकैती, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों के अनुसलझे मामलों को सुलझाने के निर्देश बीड के पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय अपराध शाखा (स्थागुशा) के निरीक्षक श्री उस्मान शेख को दिए थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इन मामलों की जांच के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया।

डकैती की घटना का विवरण:

२७ दिसंबर २०२४ की रात को शिरूर (कासार) पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जाठवड गांव में ६५ वर्षीय किसान बापु तुकाराम सिरसट और उनके पड़ोसी तुकाराम एकनाथ बडे के घर पर ५-६ अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया। आरोपियों ने चाकू और डंडे के बल पर उनके साथ मारपीट कर सोने-चांदी के गहने और नकदी सहित २.५ लाख का माल लूट लिया।

घटना के बाद, स्थानीय अपराध शाखा ने इस मामले को सुलझाने के लिए गोपनीय जानकारी जुटाई। २५ जनवरी २०२५ को पुलिस अमलदार विकास वाघमारे को गुप्त सूचना मिली कि यह डकैती संभाजी गौतम



पवार और उसके साथियों ने की है और वे उमापुर फाटा पर मौजूद हैं।

गिरफ्तारी:

स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक उस्मान शेख के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने उमापुर फाटा पर जाल बिछाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया:

संभाजी गौतम पवार (२२ वर्ष), निवासी टाकळी अंबड, तहसील पैठण, जिला संभाजीनगर।

गणेश वर्जा भोसले (२८ वर्ष), निवासी थेरागांव, तहसील पैठण, जिला संभाजीनगर।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने न केवल इस डकैती को अंजाम देने की बात स्वीकार

की, बल्कि अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता कबूल की। इनसे जुड़े कुल चार मामले सुलझाए गए।

सुलझाए गए मामले:

शिरूर पुलिस स्टेशन: मामला नंबर २२१/२०२४, धारा ३१०(२) बीएनएस (डकैती)।

चंकलबा पुलिस स्टेशन: मामला नंबर ३६३/२०२४, धारा ३१०(२) बीएनएस (डकैती)। गेवराई पुलिस स्टेशन: मामला नंबर ३४४/२०२४, धारा ३३१(४), ३०५ बीएनएस (रात की घरफोड़)।

गेवराई पुलिस स्टेशन: मामला नंबर २७/२०२५, धारा ३३१(४), ३०५, ३(५)

वाल्मिक कराड से सभी क्यों डरते हैं? – जितेंद्र आव्हाड

संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय दिलाने के लिए मुंबई में विशाल जनआक्रोश मोर्चा

मुंबई: (जमीर काजी कि रिपोर्ट) वाल्मिक कराड के पास क्या किसी के वीडियो हैं? क्या इसी वजह से सभी उनसे डरते हैं? यह सवाल राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शनिवार को उठाया।

बीड के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के विरोध में मुंबई में जनआक्रोश मोर्चा निकाला गया। मेट्रो सिनेमा से शुरू होकर यह सर्वदलीय मोर्चा आज़ाद मैदान पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमलावरों को कड़ी सजा दी जाए और उनके राजनीतिक संरक्षकों पर कार्रवाई हो, ऐसी मांगों वाले बैनर लेकर और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात रखी। आज़ाद मैदान में यह मोर्चा जनसभा में तब्दील हो गया।

इस मोर्चे में संतोष देशमुख के भाई विशाल देशमुख और उनका परिवार, शिवसंग्राम की नेता ज्योति मेटे, और दीपक कराड समेत कई लोग शामिल थे।

इस दौरान जितेंद्र आव्हाड ने संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा, लड़ाई भीड़ नहीं, बल्कि दर्द से लड़ने वाले लड़ते हैं। भीड़ का कोई महत्व नहीं होता। हम किस भावना से लड़ाई लड़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। वाल्मिक कराड बीमार है, ऐसा कहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वह आराम से अस्पताल में सो रहा है। अब उसे बड़ी बीमारी होगी और वह मरत आराम करेगा। मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए। लेकिन धनंजय मुंडे को सत्ता में रखकर आप कराड की जांच कर रहे हैं। यह कैसे चलेगा? मुझे समझ नहीं आता कि वाल्मिक कराड से सभी क्यों डरते हैं? क्या

उसके पास किसी के वीडियो हैं? इसी वजह से क्या सब उससे डरते हैं?

आगे उन्होंने कहा, सोमनाथ सूर्यवंशी की मां ने सरकार को १० लाख रुपये वापस कर दिए। उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पैसे नहीं, बल्कि न्याय चाहिए। महाराष्ट्र में कोई भी कहे, सोमनाथ की मौत जेल में हुई है। यह कहा गया कि उसकी मौत सांस संबंधी तकलीफ से हुई, लेकिन उसके परिवार का कहना है कि उसे ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी।

अक्षय शिंदे ने बलात्कार किया ही नहीं: आव्हाड

बदलापुर में बालिका पर यौन अत्याचार के मामले के संदिग्ध आरोपी अक्षय शिंदे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अक्षय शिंदे ने बलात्कार किया ही नहीं। जिन्होंने बलात्कार किया, उन्हें बचाने के लिए उसकी हत्या की गई। अक्षय शिंदे मामले में अब तक पुलिस के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, इस पर भी जितेंद्र आव्हाड ने सवाल उठाए।

मुंबई में रहकर भी सुरेश धस मोर्चे से नदारद संतोष देशमुख हत्याकांड में शुरुआत से आवाज उठाने वाले भाजपा के आष्टी के विधायक सुरेश धस, मुंबई के जनआक्रोश मोर्चे से अनुपस्थित रहे। खास बात यह है कि मुंबई में रहकर भी वह मोर्चे में शामिल नहीं हुए।

देशमुख की हत्या के विरोध के साथ-साथ परभणी के सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के मामले को लेकर आयोजित इस मोर्चे में उनकी अनुपस्थिति को लेकर चर्चा होती रही। इसी दौरान आव्हाड ने एनकाउंटर में मारे गए अक्षय शिंदे पर बयान दिया, जिस पर धस ने बाद में नाराजगी जताई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आव्हाड और धस के बीच मतभेद हैं।



बीड : राज्य के खेल मंत्री ना. दत्ता भरणे गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। बीड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता डॉ. योगेश शरसागर ने उनका सत्कार किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजय दोंड, राष्ट्रवादी लीगल सेल के जिलाध्यक्ष एडवोकेट नागेश तांबारे समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जिंतूर नगर परिषद का अजब कारभार सभी नियम धाबे पर रख कर ऐन ऐ लेआऊट का गोरखधंदा!

वो तथाकथित ऐन ऐ लेआऊट की तक्रार मुख्यमंत्री के पास!; जिल्हाधिकारी साहब इधर लक्ष केंद्रित करो!

जिंतूर (एम एजाज जिंतूरकर) शहर के औंढा रोड स्थित वो तथाकथित ऐन ऐ लेआऊट की चर्चा चल रही है! नगर रचना विभाग ऐन ऐ लेआऊट अभिन्यास मंजूर करते वक्त कुछ नियम अटी लगा कर मंजुरी देते हैं! जिस मे एक साल में ऐन ऐ लेआऊट मे सभी सुविधा डेव्हलप कर के पुरे भुखंड की बिक्री करे! जैसे के ऐन ऐ लेआऊट हुवे! भुखंड पर चारो बाजु से संरक्षण दिवार बनाये! मुख्य

प्रवेशद्वार पर कमान बनाये! मुख्य रस्ता और अंतर्गत रस्ते सि सी रोड और गटर बनाये! लाईट पाणी की व्यवस्था करे! ये सभी डेव्हलपमेंट की काम एक साल में पुरे करे! और सभी सुविधा उपलब्ध कराने के बाद वो ऐन ऐ लेआऊट भुखंड की बिक्री करे! मगर जिंतूर मे ऐसा नहीं होता हैं! अधिकतर ऐन ऐ लेआऊट मे सभी नियम धाबे पर रख कर प्लॉट धारको की आर्थिक लुट कि जा रही है! ऐसा निदर्शन

मे आ रहा है! ऐसा ही कुछ प्रकार शहर के औंढा रोड स्थित सर्वे नंबर ९४ मे हुवे! वो तथाकथित ऐन ऐ लेआऊट भुखंड के विरोध में शहर के सामाजिक कार्यकर्त्या वो ने कई तक्रार पुरावो के साथ जिल्हा प्रशासन के नगर विकास विभाग के पास किये हैं! मगर जिल्हा प्रशासन के नगर विकास विभाग ने सभी तक्रार रोड को लालबस्ते मे डाल रखा है! वो तथाकथित ऐन ऐ लेआऊट के

ओनर के पिछे कौन सी अद्रश शक्ती हैं? कौन से आका का आशिर्वाद हैं? ऐसी चर्चा प्लॉटिंग व्यवसायी को मे चल रही है! जिल्हा प्रशासन कार्रवाई नहीं करने पर सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत उर्फ मुन्ना टाले ने मुख्यमंत्री को वो तथाकथित सर्वे नंबर ९४ के ऐन ऐ लेआऊट संबंधी तक्रार दाखल की हैं! अब मुख्यमंत्री की ओर से होती या फिर कोई आका आगे आता हैं? ऐसी चर्चा शहरवासीयो मे हो रही है!

एसटी बस किराए में १४.९५% की वृद्धि लागू

विशेष प्रतिनिधि मुंबई: हकीम समिति द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, मुंबई को चरणबद्ध परिवहन सेवाओं के किराए में १४.९५% की वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यह किराया वृद्धि शुक्रवार की मध्यरात्रि से लागू कर दी गई है, ऐसा राज्य परिवहन प्राधिकरण ने निर्देश दिया है।

वाहनों के लिए आवश्यक डीजल, चेसिस, टायर आदि की कीमतों में हुए बदलाव के कारण और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने की वजह से, निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पत्र के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के यात्री किराए में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण की २७६वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पिछली किराया वृद्धि २६ अक्टूबर २०२१ को लागू की गई थी।

मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की प्रावधानों के तहत सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण की स्थापना की है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य की २७६वीं बैठक अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (परिवहन) और प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय सेठी की अध्यक्षता में २३ जनवरी को हुई। बैठक में राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य, अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) और परिवहन आयुक्त उपस्थित थे।

निगम की पर्यावरण-अनुकूल नई बीएस-६ मानक की सामान्य बसों के लिए एमएटर लाल रंग योजना को मंजूरी दी गई। ५० ई-बसेस के लिए सफेद और हरा रंग और १०० ई-बसेस के लिए वर्तमान में चल रही शिवनेरी बसों की तरह आकाशी नीला रंग योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, रेंट-ए-कैब लाइसेंस धारकों के लाइसेंस के नवीनीकरण और नए रेंट-ए-कैब लाइसेंस जारी करने को भी स्वीकृति दी गई, ऐसा राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव भरत कलसकर ने बताया।

किराया वृद्धि का विवरण: सेवा प्रकार: साधारण बस: वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.)

८.७० रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १०.०५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) ११ रुपये।

जल्द सेवा (साधारण): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) ८.७० रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १०.०५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) ११ रुपये।

रात्रि सेवा (साधारण बस): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) ८.७० रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १०.०५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) ११ रुपये। निम आराम: वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) ११.८५ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १३.६५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) १५ रुपये।

विनावातानुकूलित शयन आसनी: वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) ११.८५ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १५.३५ रुपये। पहले चरण का

१३.६५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) १५ रुपये।

विनावातानुकूलित शयनयान: वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) ११.८५ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १४.७५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) १६ रुपये।

शिवशाही (वातानुकूलित): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) १२.३५ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १४.२० रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) १६ रुपये। शिवशाही स्लीपर (वातानुकूलित): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) १२.९५ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १४.९० रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) १७ रुपये।

शिवशाही स्लीपर (वातानुकूलित): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) १३.३५ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १५.३५ रुपये। पहले चरण का

किराया (दुर्घटना निधि सहित) १७ रुपये।

शिवनेरी (वातानुकूलित): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) १८.५० रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण २१.२५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) २३ रुपये।

शिवनेरी स्लीपर (वातानुकूलित): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) २२ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण २५.३५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) २८ रुपये।

ई-बस (९ मीटर, वातानुकूलित): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) १२ रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १३.८० रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) १५ रुपये।

ई-शिवाड़ी / ई-बस (१२ मीटर, वातानुकूलित): वर्तमान किराया प्रति चरण (६ कि.मी.) १३.२० रुपये। २५ जनवरी २०२५ से संशोधित किराया प्रति चरण १५.१५ रुपये। पहले चरण का किराया (दुर्घटना निधि सहित) १७ रुपये।

मविआ के १०० पराजित उम्मीदवारों की न्यायालय में याचिका-पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई (जमीर काजी) निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आयोग ने इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए, जिससे भाजपा गठबंधन को फायदा हुआ। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की भूमिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में मविआ (महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) के १०० पराजित उम्मीदवारों ने राज्य के विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं दाखिल की हैं। यह जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।

प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने सवाल उठाया कि केवल छह महीनों में ४८ लाख नए मतदाता कैसे बढ़ गए? उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इस पर ठोस सबूतों के साथ जवाब दे।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए राज्यभर में आंदोलन और पत्रकार वार्ताएं आयोजित कीं। मुंबई के गांधी भवन में प्रवीण चक्रवर्ती, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और पूर्व सांसद कुमार केतकर ने इस मुद्दे पर चर्चा की।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या ९.७ करोड़ बताई गई है। लेकिन मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र की १८ वर्ष से अधिक

उम्र की वयस्क जनसंख्या केवल ९.५४ करोड़ है। इस आंकड़े के अनुसार, १६ लाख नए मतदाता कहां से आए?

चक्रवर्ती ने कहा कि मतदाता सूचियों में कई अनियमितताएं की गई हैं। उदाहरण के लिए, शिर्डी विधानसभा क्षेत्र के लोणी गांव में एक ही पते पर ५००० मतदाताओं का पंजीकरण किया गया। जब कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा घोरे ने इनसे पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र की मांग की, तो यह स्पष्ट हुआ कि वे स्थानीय निवासी नहीं थे। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

लोकसभा चुनाव के बाद १३२ विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में २०,००० से २५,००० नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। लोकसभा चुनाव में ६२ विधानसभा क्षेत्रों में महायुती आगे थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन्हीं १३२ क्षेत्रों में से ११२ सीटों पर महायुती को जीत मिली। मतदाता सूचियों में यह अत्यधिक वृद्धि संदेहास्पद है।

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग की शुभकामनाएं दी जानी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ऐसा नहीं करना चाहती। मतदाता सूचियों में हुई गड़बड़ियां एक गंभीर मुद्दा है। इस मामले में मविआ के १०० पराजित उम्मीदवारों ने राज्य के विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं दाखिल की हैं। भारत में लोकतंत्र पर पूरी दुनिया की नजर होती है। यदि चुनाव आयोग चुनावों में पक्षपात करता है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।